बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्याः– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1639 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

श्री शिव कुमार चौधरी तदेन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल–1, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के विरूद्व बागमती प्रमंडल–1, सीतामढ़ी के पदस्थापन काल में बागमती बाँयाँ तटबन्ध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में यांत्रिक विधि से मिट्टी ढुलाई कार्य कराए जाने से संबंधित समुचित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद लीड प्लान की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किये जाने संबंधी अनियमितता के आरोप के प्रसंग में जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1219 दिनांक 06.11.2009 द्वारा श्री चौधरी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री चौधरी के पत्रांक 131 दिनांक 01.02.2011 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण समीक्षोपरान्त स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप उनके विरूद्व आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर जल संसाधन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 308 दिनांक 06.03.2013 द्वारा श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख (उत्तर) जल संसाधन विभाग, पटना के अधीन श्री चौधरी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. कालान्तर में अभियंताओं के कैडर विभाजन के फलस्वरूप श्री चौधरी का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण उनके विरूद्व अग्रेतर कार्रवाई हेतु संबंधित संचिका इस विभाग को हस्तानांतरित कर दी गई।

3. इस बीच श्री शिव कुमार चौधरी तदेन कार्यपालक अभियंता का दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत हो जाने की स्थिति में उक्त विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या 780 दिनांक 26.02.2016 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित कर दिया गया।

4. जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1092 दिनांक 13.06.2016 के द्वारा सूचित किया गया कि संचालन पदाधिकारी श्री राजेश्वर दयाल, अभियंता प्रमुख (उत्तर) जल संसाधन विभाग दिनांक 30.09.2014 को सेवानिवृत हो चुके है एवं उनके द्वारा जाँच प्रतिवेदन इस विभाग को समर्पित नहीं किया गया है। श्री चौधरी के विरूद्व अग्रेतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग से अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में ग्रामीण कार्य विभाग के संकल्प ज्ञापांक 216 अनु0 दिनांक 31.01.2017 द्वारा श्री कमलेश चौधरी, मुख्य अभियंता–3 ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

5. संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 1334 दिनांक 11.02.2019 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री चौधरी के विरूद्व गठित आरोपों को प्रमाणित माना गया।

6. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 1952 दिनांक 08.07.2019 द्वारा श्री चौधरी से द्वितीय बचाव बयान की मांग की गई। श्री चौधरी द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 19.11.2019 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान विभाग को समर्पित किया गया। श्री चौधरी द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में प्रश्नगत् बागमती बायाँ तटबंध के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य में अन्य आरोपों पर जल संसाधन विभाग द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर जल संसाधन विभाग की अधिसूचना संख्या–977 दिनांक 28.11.2008 द्वारा

12/10/20

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

दोषमुक्त कर दिये जाने का उल्लेख करते हुए प्रसंगत आरोप पर पुनः संचालित विभागीय कार्यवाही को औचित्य पर प्रश्न उठाया है। प्रश्नगत् आरोप के संबंध में मुख्य रूप से श्री चौधरी का यह कहना है कि यदि समुचित अभिलेख नहीं था तो मुख्य अभियंता द्वारा लीड प्लान की घटनोतर स्वीकृति कैसे दी गयी। उल्लेखनीय है कि श्री चौधरी के विरूद्ध यांत्रिक विधि से मिट्टी ढुलाई कार्य कराये जाने से संबंधित समुचित अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के बावजूद लीड प्लान की स्वीकृति हेतु अनुशंसा किये जाने का है। इस बिन्दु पर श्री चौधरी द्वारा कोई स्पष्ट बचाव बयान न देकर अन्य अप्रासंगिक बातों का उल्लेख अपने द्वितीय बचाव बयान में किया गया है। ऐसी स्थिति में श्री चौधरी का द्वितीय बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

7. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में, श्री शिव कुमार चौधरी तदेन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल–1, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की राशि की कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने के निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

8. उक्त विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 454 अनु० दिनांक 29.01.2020 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्श की मांग की गयी, जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1392 दिनांक 17.09.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी है।

9. अतः उक्त के आलोक में श्री शिव कुमार चौधरी, तदेन कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल–1, सीतामढ़ी सम्प्रति सेवानिवृत अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, छपरा के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) के तहत पेंशन से 10 प्रतिशत की मासिक कटौती अगले पाँच वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/10/2020

(संजय दूबे)

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को एक अतिरिक्त प्रति एवं सीडी0 के साथ राजपत्र में आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/संबंधित कोषागार/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य. विभाग/निगरानी विभाग/जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/योजना एवं विकास विभाग/पथ निर्माण, विभाग/जल संसाधन विभाग/ज़िला पदाधिकारी, सीतामढ़ी/जिला कोषागार सीतामढ़ी/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग के पत्रांक 1092 दिनांक 13.09.2016 के क्रम में/कार्यपालक अभियंता, बागमती प्रमंडल सं0–1, सीतामढ़ी/ अधीक्षण अभियंता शीर्ष कार्य अंचल, बागमतीनगर, सीतामढ़ी/अपर सचिव, स्थापना, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी–6/लेखा शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री शिव कुमार चौधरी, तदेन अधीक्षण अभियंता, बागमति प्रमंडल–1 सम्प्रति सेवानिवृत्त, पता– फ्लैट नं0–303/सी सोमित्रा अपार्टमेन्ट रोड नं0–1, झुनझुन महल, महल्ला–न्यू यारपुर गर्दनीबाग, पटना–800001, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बेली रोड, पटना को आयोग के पत्रांक 1392 दिनांक 17.09.2020 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–86/2014 1640 /पटना, दिनांक :– 12-10-2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/10/2020

अपर सचिव